न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 63/2019-20

प्रथम पक्ष – बसन्ती हस्सा पिता सान्दु हस्सा
ग्राम– कुदाडीह, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

द्वितीय पक्ष – जगाय मुण्डा पिता स्व0 माधव मुण्डा
ग्राम– अनिगड़ा, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
25.01.21	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–677R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.18 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–	

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
अनिगड़ा	खूँटी 73	57	584	0.07

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि आवेदक ने उक्त भूमि जगाय मुण्डा पिता स्व0 माधव मुण्डा ग्राम–अनिगड़ा, थाना–खूँटी से रजिस्ट्री पट्टा सं0 802 दिनांक 03.07.2017 के द्वारा क्रय किया है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित खाता 54 का जमाबंदी Online पंजी में किसी के नाम पर नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक ने मौजा अनिगड़ा का खाता सं0 57 प्लॉट सं0 584 रकबा 0.07 एकड़ भूमि का क्रय किया है एवं उक्त खाता का मालगुजारी रसीद निर्गत हो रहा है। नामांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करने समय भुलवश खाता सं0 54 दर्ज हो गया है। अंत में अपील स्वीकार करने का प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सूना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन एवं पाया कि आवेदक द्वारा खाता सं0 57 के अंतर्गत भूमि का क्रय किया गया है एवं उक्त खाता का रसीद भी निर्गत है। आवेदन मे भुलवश खाता सं0 57 के जगह 54 दर्ज हो गया है।

अतः अधिकारी, खूँटी को Remand निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से पुनः नये शीरे से आवेदन प्राप्त करते हुए दाखिल–खारिज हेतु न्यायसंगत कार्रवाई की जाय।

लेखापित एवं संशोधित

25/01/21
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

25/01/21
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।